Chapter 4

अंश पूंजी और ऋणपत्र (43-72)

DATE
PAGE NO.

Share (अंश)
→ Equity shares
→ Preference share (पूर्वाधिकार अंश)

(1)→ इक्विटी शेयर पूंजी का अर्थ है शेयर पूंजी जो वरीयता शेयर पूंजी नही है।
वरीयता शेयर पूँजी → जिसमे अधिमान्य अधिकार होते है।
(1) इक्विटी से पहले लाभांश का भुगतान
(2) समापन के मामले में इक्विटी से पहले पूँजी का पुनर्भुगतान

Note → MOA या AOA मे निर्दिष्ट मोचन पर प्रीमियम के पुनर्भुगतान के लिये इसे इसे अधिमान्य अधिकार हो भी सकता है और नही भी।

(1) वरीयता शेयर का निश्चित लाभांश भुगतान करने के बाद भी वे अधिशेष लाभ मे इक्विटी शेयर पूंजी के साथ भाग ले सकते है।
(2) कम्पनी के समापन की स्थिति मे अधिमान्य पूंजी और इक्विटी पूंजी चुकाने के बाद अधिमान्य अधिशेष परिसम्पत्तियों मे इक्विटी के साथ भाग ले सकता है

कम्पनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम 2014 का नियम 4

(1) शेयरो द्वारा सीमित कम्पनी अंतर अधिकारो के साथ इक्विटी शेयर जारी कर सकती है यदि वह अनुपालन करती है -
(1) कम्पनी के AOA मे प्राधिकरण (Authorisation) की आवश्यकता है।
(2) आम बैठक में साधारण प्रस्ताव (सूचीबद्ध कम्पनी के मामले मे डाकमतपत्र के माध्यम से
(3) किसी भी समय कुल मतदान शक्ति के 74% से कम DVR वाले शेयरो की मतदान शक्ति
(4) 3 वर्ष मे:-
(i) FS और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने मे कोई चूक नही।
(ii) RBI Act, SEBI Act, SCRA, FEMA या किसी विशेष Act के तहत Court/Tribunal द्वारा दण्डित नही किया गया।

5 वर्ष:- भुगतान में चूक नही हुयी:.
0 वरीयता शेयरो पर लाभांश → Scheduled Bank
Public Financial Institution — PFI / अनुसूचित बैंक / राज्य स्तरीय FI (Financial Institution) से ब्याज या सावधि ऋण चुकौती
कर्मचारी वैधानिक बकाया (जैसे PF / Gratuity
→ Provident fund.

Teacher's Signature..........

DATE
PAGE NO.

IEPF मे राशि जमा करना

कोई विद्यमान चूक नही:-

Equity ⓪ > शेयरधारकों को घोषित लाभांश का भुगतान

Preference ⓪ परिपक्व जमाराशियों का भुगतान (पुर्नभुगतान)

⓪ डिबेंचर अधिमान शेयरो का मोचन

⓪ उपरोक्त जमा/ डिबेंचर पर ब्याज / लाभांश का भुगतान

(2) अनिवार्य व्याख्यात्मक कथन :- GM / पोस्टल बैलेट की सूचना के साथ

(3) समान्य मताधिकार वाले इक्विटी शेयर को विभेदक मताधिकार वाले इक्विटी शेयर मे या इसके विपरीत परिवर्तित नही किया जा सकता।

(4)→ उस वित्तीय वर्ष के लिये बोर्ड रिपोर्ट में अनिवार्य प्रकटीकरण जिसमे विभेदक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरो का निर्गमन पूरा हुआ।

(5) इक्विटी शेयरो के विभेदक अधिकारो को छोड़कर DVR के साथ इक्विटी के अन्य सभी अधिकार सामान्य मतदान अधिकारो के साथ। इक्विटी के समान होंगे।

(6) सदस्यो के रजिस्टर मे निर्दिष्ट विवरण बनाये रखा जायेगा

* नोट:- धारा 43 निर्दिष्ट IFSC सार्वजनिक कम्पनी और निजी कम्पनी पर लागू नही होगी जहाँ ऐसी कम्पनी के MOA या AOA मे इसका प्रावधान है

अंशों का प्रमाणपत्र धारा 46

Share प्रमाण पत्र SH-1

- कम्पनी के पास कॉमन सील है आम मोहर के तहत जारी किया गया
- कम्पनी के पास कॉमन सील नही है
  - Com. के पास CS → 1 निदेशक + CS
  - Com. के पास CS नही है → 2 निदेशक

Teacher's Signature........

(2)→ शेयर प्रमाणपत्र ऐसे शेयरों पर व्यक्ति के स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा।

(3) यदि मूल शेयर प्रमाणपत्र

- खो गया / नष्ट हो गया
- विरुपित या विकृत — कम्पनी के पास पुराना सरेंडर प्रमाण पत्र जमा हुआ है।

कम्पनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी कर सकती है।

(4) यदि शेयर डीमैट रुप में रखे गये है तो उपरोक्त प्रावधान लागू नही होंगे।

(5) यदि शेयर डीमैट रुप में रखे गये हो तो डिपॉजिटरी का रिकार्ड लाभार्थी स्वामी के हित का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है

(6) कम्पनी केवल एक शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी जहाँ शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दूसरों के साथ संयुक्त रुप से रखे गये हो।

(7)→ रजिस्टर के रुप में सदस्यों के रजिस्टर के सम्बन्ध सन्दर्भ के साथ फार्म SH-2 में रखे गये प्रत्येक नवीनीकृत और डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों का विवरण।

(8)→ ऐसे रजिस्टर में की गयी सभी प्रविष्टियाँ कम्पनी सचिव या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित की जायेगी जिसे बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

(9) शेयर प्रमाणपत्र आवंटन पत्र या अपेक्षित मूल्य के आशिक कूपन के समर्पण पर जारी किया जायेगा (स्वीकृति या त्याग के पत्रों के विरुद्ध जारी करने के मामलो को छोड़कर या बोनस शेयरों के जारी करने के मामले में) बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में।

(10)→ शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिये उपयोग किये जाने वाले सभी Blank form (रिक्त प्रपत्र) मुद्रित किये जायेंगे और मुद्रण केवल बोर्ड के संकल्प के प्राधिकार पर ही किया जायेगा और इन्हें क्रमिक रुप से मशीन-संख्यांकित किया जायेगा।

(11) ऐसे प्रपत्र सचिव या ऐसे अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखे जायेंगे जिसे बोर्ड इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत करे।

(12) शेयर प्रमाणपत्रों के अभिलेख से सम्बन्धित सभी पुस्तकें कम से कम तीस वर्ष तक अच्छी स्थिति में संरक्षित रखी जायेगी तथा विवादित मामलों में

DATE
PAGE NO.

स्थायी रूप से संरक्षित रखी जायेगी।

(13)→ किसी co. को समर्पित किये गये सभी प्रमाणपत्रों को तुरन्त ही मोटे अक्षरों में रद्द शब्द छापकर या मुहर लगाकर विरूपित कर दिया जायेगी तथा उन्हें समर्पित किये जाने की तारीख से 3years के समाप्ति के पश्चात बोर्ड से संकल्प के प्राधिकार के अधीन तथा इस सम्बन्ध मे बोर्ड द्वारा विधिवत नियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति मे नष्ट किया जा सकेगा।

(14)→ सजा - धोखाधड़ी के इरादे से जारी किये गये डुप्लिकेट शेयर

- कम्पनी
  - शेयरों का न्यूनतम 5 FV
  - अधिकतम - 10 × FV शेयर या - 10 crore जो भी अधिक हो।
- चूककर्ता अधिकारी
  - धारा 447

मतदान के अधिकार (धारा 47)

कम्पनी प्रत्येक सदस्य शेयर होल्डिंग द्वारा सीमित है

- इक्विटी शेयर में
  प्रत्येक सदस्य की कम्पनी के समक्ष रखे गये प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार होगा।
- पूर्वाधिकार अंश
  प्रत्येक सदस्य को वोट देने का अधिकार होगा
  - (क) वरीयता शेयर से जुड़े अधिकारों को सीधे प्रभावित करने वाले संकल्प
  - (ख)→ समापन के लिये कोई प्रस्ताव
  - (ग)→ इक्विटी या अधिमान्य शेयर पूँजी का पुर्नभुगतान या कमी

(1) मतदान की स्थिति में, (• Poll Method.) मतदान का अधिकार कम्पनी की चुकता शेयर पूँजी में उसके हिस्से के अनुपात में होगा।

(2) यदि अधिमान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक नही किया जाता है तो अधिमान्य शेयर धारकों को कम्पनी के समक्ष

Teacher's Signature

DATE
PAGE NO.

रखे गये सभी प्रस्तावों पर वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है।

Note→ धारा 47 निर्दिष्ट IFSC सार्वजनिक कम्पनी और निजी कम्पनी पर लागू नही होगी जहाँ ऐसी कम्पनी के MOA या AOA में इसका प्रावधान है।

शेयरधारकों के अधिकारों में भिन्नता (धारा 48)

अधिकारों की भिन्नता के लिये
- option-1 → उस वर्ग के जारी किये गये शेयरों के कम से कम 3/4 की लिखित सहमति
- option 2 → उस वर्ग के धारकों की अलग बैठक में विशेष प्रस्ताव

Note→ इस तरह के बदलाव की अनुमति AOA/MOA के तहत है।

(1) किसी प्रावधान के अभाव में इसे जारी करने की शर्तों द्वारा प्रतिबंधित नही किया गया है।

(2)→ यदि शेयरधारकों के एक वर्ग के अधिकारों में परिवर्तन से शेयरधारकों के किसी अन्य वर्ग पर प्रभाव पड़ता है तो ऐसे अन्य वर्ग के 3/4 भाग की सहमति भी प्राप्त की जायेगी

(3)→ धारक (वर्ग के जारी शेयरों का न्यूनतम 10%) — → जिसने सहमति नही दी या → प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नही हुआ।

↓

सहमति/समाधान के 21 दिनों के भीतर न्यायाधिकरण में आवेदन करें

↓

वेरियेशन के लिये रद्द

↓

न्यायाधिकरण (tribunal) का आदेश।

बाध्यकारी है - कम्पनी को 30 दिनों के भीतर ROC के पास आदेश की प्राप्ति दाखिल करनी होगी।

एक समान आधार पर समान वर्ग के शेयरों पर मांग धारा 49

Teacher's Signature..............

एक ही वर्ग के शेयरों पर उस वर्ग के अन्तर्गत आने वाली सभी शेयरों के लिये एक समान आधार पर मांग की जायेगी।

(२) सामान्यत: समान अंकित मूल्य वाले शेयरों को समान वर्ग माना जाता है किन्तु समान अंकित मूल्य वाले शेयरों जिन पर भिन्न-भिन्न राशियां अदा की गयी है को इस प्रयोजन के लिये समान वर्ग के अंतर्गत नही माना जायेगा।

अग्रिम कॉल (धारा 50)

- AOA द्वारा अधिकृत → पहले से कॉल स्वीकार कर सकते है
- AOA द्वारा अधिकृत नहीं → पहले से कॉल स्वीकार नहीं कर सकते

→ सदस्य को अग्रिम रूप से बुलाये जाने तक किसी भी प्रकार के मतदान का अधिकार नही होता है

→ यदि AOA द्वारा अनुमति दी जाये तो ऐसे अग्रिम पर ब्याज का भुगतान किया जा सकता है।

→ GM में शेयरधारकों द्वारा ब्याज दर में परिवर्तन किया जा सकता है।

(धारा 51) लाभांश की गणना

लाभांश की गणना

- कम्पनी AOA द्वारा अधिकृत × → नाममात्र मूल्य / अंकित मूल्य
- AOA द्वारा अधिकृत ✓ → प्रत्येक शेयर पर चुकता राशि के अनुपात में लाभांश का भुगतान कर सकता है। (paid up value)

प्रीमियम या छूट पर शेयर जारी करना (धारा 52) (Eq. + pref) (Deb ×)

शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम को "प्रतिभूति प्रीमियम खाते" में स्थानांतरित किया जायेगा
प्रीमियम नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

DATE
PAGE NO.

प्रतिभूति प्रीमियम खाते का उपयोग

- धारा 52 के तहत
  - निर्धारित कम्पनियों के लिये जिनका FS AS का (Financial statement) अनुपालन करता है
  - अन्य कम्पनियों के लिये Sec 133 के Accounting Standard को follow करना पड़ता है तो वह (3 purpose) के लिये प्रीमियम use कर सकती है।
- धारा 52 के अनुसार नही
  - शेयर पूंजी में कथित कमी

Share premium utalize for 5 purpose

1. पूर्ण भुगतान वाले बोनस शेयरों का निर्गम
2. प्रारम्भिक व्यय का बट्टे खाते में डालना
3. शेयरों / डिबेंचर पर कमीशन / छूट के व्यय को बट्टे खाते में डालना
4. वरीयता शेयरों / डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम
5. धारा 68 के तहत शेयरों की वापस खरीद के लिये

} इन सभी कार्यों को करने के लिये co. share premium का use कर सकती है।

1, 3, 5 } का use कर सकती है।

छूट पर शेयर जारी करने पर प्रतिबंध (धारा 53)

① कम्पनी छूट पर (अर्थात अंकित मूल्य से कम) शेयर (~~इक्विटी~~ इक्विटी / पूर्वा०) जारी नही करेगी। (छूट पर जारी किये गये कोई भी अमान्य होंगे।

② → उपरोक्त प्रावधान का अपवाद →

(A) → धारा 54 के तहत स्वेट इक्विटी शेयर

(B) → तरण को शेयर में परिवर्तित करना

- वैधानिक समाधान योजना
- RBI दिशानिर्देशों के अनुसार तरण पुर्नगठन योजना

नोट: डिबेंचर / बांड छूट पर जारी किये जा सकते है।

यदि कम्पनी धारा 53 का उल्लंघन करती है

- Co. जारीकर्ता के डेट से 12% प्रति वर्ष ब्याज सहित सारा पैसा वापिस करें।
- कम्पनी एवं अधिकारी चूककर्ता → ऐसी माध्यम के मुद्दे से जुटाई गयी राशि तक जुर्माना या 5 लाख (जो भी कम हो)

Teacher's Signature.........

DATE
PAGE NO.

स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन (धारा 54)

स्वेट इक्विटी शेयर धारा 2(88)

- कम्पनी द्वारा जारी इक्विटी शेयर
- इसके निदेशक या कर्मचारी को
- छूट पर या face value 10 पर
- नकदी के अलावा अन्य द्वारा

उन्हें उपलब्ध कराने के लिये

- तकनीकी जानकारी
- उपलब्ध कराना बौद्धिक सम्पदा अधिकार
- मूल्य संवर्धन, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये

स्वेट इक्विटी शेयर जारी करने की शर्तें :-

1. उस वर्ग के लिये शेयर पहले से जारी होने चाहिये
2. जारी करना विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत है।
3. संकल्प निर्दिष्ट करता है - शेयरों की संख्या - वर्तमान बाजार मूल्य - विचार यदि कोई हो - निदेशक या कर्मचारियों का वह वर्ग या वर्ग जिन्हें ऐसे इक्विटी शेयर जारी किये जाने है।
4. सूचीबद्ध कम्पनी के लिये SEBI विनियमों का पालन करें
5. यदि अन्य कम्पनी, कम्पनी (शेयर और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 8 का अनुपालन करती है

① Employee Means ....

- Permanent Employee work in India / outside India
- कम्पनी का Director चाहे wholetime director हो या नहीं
- सहायक कम्पनी (भारत के अन्दर / बाहर) या इसकी होल्डिंग कम्पनी के निदेशक / कर्मचा.

② SR पास होने के 12 महीने के भीतर आवंटन करने के लिये SR वैध है।

③ स्वेट इक्विटी शेयरों के धारकों को अन्य इक्विटी शेयरधारकों के साथ समान दर्जा

④ (Not so Imp) मूल्य संवर्धन (value additions) से तात्पर्य किसी विशेषज्ञ या पेशेवर से कम्पनी द्वारा बौद्धिक सम्पत्ति सम्पदा अधिकारों के स्वरूप में जानकारी प्रदान करने या अधिकार उपलब्ध कराने के लिये प्राप्त या प्राप्त किये जाने वाले वास्तविक या

Teacher's Signature..........

DATE
PAGE NO.

प्रत्याशित आर्थिक लाभो से है ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे स्वैट इक्विटी जारी की जा रही है जिसके लिये प्रतिफल का भुगतान नही किया गया है या कर्मचारी के मामले मे रोजगार अनुबंध के तहत देय सामान्य पारिश्रमिक मे शामिल नही किया गया है।

अधिकतम (स्वैट इक्विटी शेयर जारी)

- प्रतिवर्ष → चुकता इक्विटी शेयर पूँजी का 15% or 5 crore जो भी अधिक हो
- कुल सीमा → किसी भी समय चुकता इक्विटी शेयर पूँजी का 25% → स्टार्टअप कम्पनी के लिये निगमन की तिथि से 10 years तक चुकता पूँजी का 50%

लॉक इन अवधि :- आवंटन की तिथि से 3 वर्ष तक — अहस्तांतरणीय

स्वैट / इक्विटी शेयर का निर्गम मूल्य :- पंजीकृत मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जायेगा

IPR / मूल्य संवर्धन / तकनीकी जानकारी का मूल्यांकन - पंजीकृत मूल्यांकन कर्ता द्वारा निर्धारित।

स्वैट इक्विटी शेयर का लेखांकन उपचार

- मूल्यह्रास (Issued Against) योग्य / परिशोधन योग्य परिसम्पत्ति के विरुद्ध जारी किया गया → बैलेंस शीट में ले जाये
- अन्य मामले → व्यय के रूप में दर्ज किया गया

(8) कम्पनी को बोर्ड रिपोर्ट मे ऐसे मुद्दे का विवरण प्रकट करना होगा।

(9) कम्पनी को co के पंजीकृत कार्यालय या बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर फॉर्म संख्या SH 3 में स्वैट इक्विटी शेयरो का रजिस्टर बनाये रखना होगा

तरजीही शेयरों को जारी करना और उनसे छुटकारा पाना (धारा 55)

(1) कम्पनी लिमिटेड By shares द्वारा अप्रतिदेय अधिमान्य शेयर जारी नही करेगी

(2) शेयरो द्वारा सीमित कम्पनी AOA द्वारा अधिकृत होने पर (Reedeemable Preference share) जारी कर सकती है।

Teacher's Signature..........

DATE
PAGE NO.

मोचन (Redemption) की अधिकतम अवधि

ढांचागत परियोजनायें → 30 years से कम 10% per years की दर से मोचन का विकल्प

अन्य कम्पनियां → Maximum - 20 years

(4) केवल पूर्णतः चुकता अधिमान्य शेयरों को ही भुनाया जा सकता है।
Fully Paid up shares Redeem

(5) Source of redemption of preference share

- पूँजीगत राशि
  - कम्पनी का लाभ लाभांश के लिये उपलब्ध है → शेयरों के नाममात्र मूल्य की पूँजी मोचन रिजर्व (CRR) में स्थानान्तरित करना)
  - इस प्रयोजन के लिये जारी किये गये शेयरों से प्राप्त आय
- मोचन पर प्रीमियम
  - लाभ से बाहर
  - प्रतिभूति प्रीमियम खाते से बाहर (निर्धारित कम्पनी के लिये अनुमति नहीं)

(6) CRR का उपयोग केवल पूर्ण भुगतान वाले बोनस शेयर जारी करने के लिये किया जा सकता है

(7) सदस्यों के रजिस्टर में वरीयता शेयरधारकों का विवरण शामिल किया जायेगा।

(8) कम्पनी वरीयता शेयरों को भुनाने या लाभांश का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है

↓

अधिमान्य शेयरों के मूल्य के 3/4 भाग की सहमति ले

↓

याचिका पर न्यायाधिकरण की मंजूरी

↓

मौजूदा अधिमान्य शेयरों के मूल्य के अतिरिक्त प्रतिदेय अधिमान्य शेयर जारी करना + लाभांश

↓

इस प्रकार, अशोधित अधिमान्य शेयरों को शोधित माना जायेगा।

↓

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आगे अधिमान्य शेयर जारी करने के लिये सहमति नहीं दी है

↓

न्यायाधिकरण ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित अधिमान्य शेयरों के तत्काल मोचन का आदेश देगा।

Teacher's Signature

DATE
PAGE NO.

अंश पूँजी में परिवर्तन धारा 61

(1) शेयर पूँजी वाली लिमिटेड कम्पनी द्वारा शेयर पूँजी में परिवर्तन

(1) अधिकृत पूँजी बढ़ायें

(2) अपनी समस्त या किसी शेयर पूँजी की बड़ी राशि में समेकित एवं विभाजित करना

(3) सभी या किसी भी पूर्णतः चुकता शेयरों को स्टॉक में परिवर्तित करना या इसके विपरीत

(4) अपने शेयरों को छोटी मात्रा के शेयरों में विभाजित करें

(5) उन शेयरों को रद्द करें जो नहीं लिये गये है और रद्द किये गये शेयरों के अनुसार राशि कम करें।

(2) शेयर पूँजी में परिवर्तन करने के लिये AOA में आवश्यक प्राधिकार

(3) या GM में आवश्यक है GM (General Meeting)

(4) इस धारा के अन्तर्गत रद्दीकरण को शेयर पूँजी में कमी नहीं माना जायेगा।

Eg

1. MOA = 100Cr. = 120Cr. → Increase
2. 1 Crore shares of 100@/each = 10Cr. Now 1 share 100/-each (100,000) → consolidate
3. Shares ⇆ Stock
4. 1 share 100 facevalue; 10 shares × 10 FV → टुकड़े

(5) प्रत्येक कम किये गये share पर भुगतान की गयी राशि या नहीं की गयी राशि (यदि कोई हो) के बीच का अनुपात वही होगा जो उस share के मामले में था जिससे कम किया गया शेयर प्राप्त हुआ है।

(6) परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर फॉर्म SH-7 में ROC को सूचना दी जानी चाहिये।

अंश पूँजी का आगे का निर्गम - राईट इश्यू अधिमानी आवंटन (धारा 62)

(1) राईट इश्यू:-

(क) → इक्विटी शेयरधारकों को चुकता शेयर पूँजी के अनुपात में इक्विटी / अधिमान शेयरों की पेशकश।

(ख) → प्रस्ताव की न्यूनतम अवधि → 15 दिन या निर्धारित (नियमों में 7 days) ऑफर की अधिकतम अवधि 30 days

(ग) यदि समय के भीतर स्वीकार नहीं किया गया था तो इसे - अस्वीकार ✓

(घ) जब तक AOA अन्यथा प्रावधान न करे प्रस्ताव में त्याग का अधिकार शामिल है

(ङ) → समय सीमा की समाप्ति / प्रस्ताव अस्वीकार करने की सूचना प्राप्त करने के बाद

Teacher's Signature..........

DATE
PAGE NO.

BOD ऐसे शेयरों को अपने विवेकानुसार इस प्रकार से निपटान करेगा जो SH & Co. के लिये अहितकर न हो।

(4)→ राईट इश्यू की डिस्पेच सूचना - इश्यू खुलने से कम-से कम 3 days पहले

(5)→ निजी कम्पनी में यदि 90% सदस्य सहमति देते है तो उसे दिन से कम समय स्वीकार्य है।

(2) कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (Employee Stock option plan ESOP)

1. निजी कम्पनी / IFSC सार्वजनिक कम्पनी / के मामले में, अन्य कम्पनियों के मामले मे SR
2. न्यूनतम 1 वर्ष की (vesting Period) (Holding period) निहित अवधि
3. कम्पनी को व्यायाम मूल्य व्यायाम अवधि और Lock-in अवधि तय करने की स्वतंत्र
4. जब तक विकल्प का प्रयोग नही किया जाता है वोट / लाभांश आदि का कोई अधिकार नही
5. विकल्प (non-transferable)
6. विकल्पों को गिरवी / दृष्टिबंधक (Hypothecated) नही रखा जा सकता।
7. कर्मचारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति ESOP's का हकदार नही है।

Incase of

मौत	स्थायी अक्षमता	त्यागपत्र / समाप्ति
विकल्प :- कानूनी उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्तियों के पास निहित होते है	विकल्प उसी दिन कर्मचारी को प्राप्त हो जाते है	विकल्प समाप्त हो जाते है।

(i)→ समामेलन / विलय के मामले मे पिछली कम्पनी में नियोजित अवधि को समायोजित करने की आवश्यकता है।

(3)→ अधिमान्य आवंटन

1. किसी भी व्यक्ति को प्रस्ताव
2. SR द्वारा अधिकृत
3. नकद या नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिये
4. गैर नकद प्रतिफल के मामले मे मूल्य पंजीकृत मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जायेगा

1

DATE

PAGE NO.

(4) लागू नही यदि ऋण / डिबेंचर के रुपान्तरण के कारण अभिदत्त पूंजी में वृद्धि हुयी है बशर्ते कि ऐसा निर्गम SR द्वारा अधिकृत किया गया हो।

Co.

Convertible Debentures issue → date of converstion

|| By passing SR

Debentures holder – Deb convert shares

|| Equity shareholder

No SR is required

(5) सार्वजनिक हित मे सरकार सरकार से प्राप्त डिबेंचर / ऋण या उसके किसी भाग को सरकार द्वारा तय शर्तों पर शेयरो में परिवर्तित का आदेश दे सकती है यदि परिवर्तन का विकल्प निर्गम की शर्तों मे शामिल न हो

रुपान्तरण की शर्तें सरकार द्वारा उचित ध्यान मे रखते हुये तय की जाती है –

वित्तीय स्थिति

ऋण जारी करने की शर्तें

ऋण / उधार पर ब्याज दर

अन्य

CO → debenture → GOV (Loan)

|| Conversion to Equity

Gov order ✓ — In public Interest

If company not Happy → Tribunal

यदि रुपान्तरण की शर्तें स्वीकार्य नही है तो कम्पनी को आदेश की सूचना की तारीख से 60 दिनो के भीतर NCLT में आवेदन करना होगा और NCLT जैसा उचित समझे आदेश पारित करना होगा

यदि सरकारी आदेश से अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि होती है — Automatically Increase Authorished sharecapital

↓ MOA बदल गया

→ to convert the loan from Gov. or deb issued to Gov. } shares

अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि हुयी

↓ आदेश से स्वाचालित रुप से

बोनस अंश जारी करना (धारा 63)

DATE
PAGE NO.

बोनस शेयर जारी करना (धारा 63)

स्थिति (Conditions)	स्रोत (Use)	कोई डिफाल्ट नहीं
① AOA द्वारा अधिकृत	① निशुल्क आरक्षण	① सावधि जमा / ऋण
② बोर्ड की सिफारिश	② प्रतिभूति प्रीमियम खाता	प्रतिभूतियों का ब्याज या मूलधन
③ या General Mee. में	③ Capital Redemption Reserve A/c	- कर्मचारियों के वैधानिक बकाया (भविष्य निधि ग्रेच्युटी बोनस)
④ लाभांश के बदले में नहीं	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर (Revaluation)	
⑤ एक बार स्वीकृति होने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता		
⑥ आंशिक रूप से चुकता शेयरों को पूर्ण चुकता किया जायेगा।		

अंश पूंजी में परिवर्तन के लिये रजिस्ट्रार को दी जाने वाली सूचना (धारा 64)

शेयर पूंजी के परिवर्तन के लिये SH-7 में ROC को नोटिस

- धारा 61(1) के तहत शेयर पूंजी का प्रत्यावर्तन (Alternation)
- धारा 62 के तहत CG के आदेश के कारण अधिकृत पूंजी में वृद्धि
- वरीयता शेयरों का मोचन

ROC में परिवर्तन / मोचन के 30 दिनों के भीतर

अगर नहीं बताया :-

उत्तरदायी	जुर्माना
Company	500/perday - अधिकतम 5Lakh
हर अधिकारी चूक में	500/perday - अधिकतम 1Lakh

अंश पूंजी में कमी (धारा 66)

पूंजी कटौती का तरीका

① भुगतान न किये गये किसी भी share पर देयता को समाप्त करना या कम करना
② बुझाने या कम करने के साथ या बिना
→ Extinguish

③ किसी भी चुकता शेयर पूंजी का भुगतान करे जो कम्पनी की जरूरतों से अधिक हो।

Teacher's Signature

DATE
PAGE NO.

(घ) → किसी भी चुकता शेयर पूंजी को रद्द करना जो खो गयी है या परिसंपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व नही करती है

→ इस खण्ड मे कुछ भी धारा 68 के तहत प्रतिभूतियो की पुर्नखरीद पर लागू नही होगा। ।

① सामान्य बैठक में SR

↓

② अनुमोदन के लिये न्यायाधिकरण को आवेदन

↓

③ न्यायाधिकरण को (CG) CG | ROC | SEBI को नोटिस देना है

↓ 3 महीने मे प्राप्त आपत्ति

Tribunal आपत्ति पर विचार करें

↓ अनुमति दे

↓ अनुमति नही

↓ 3 महीने में आपत्तियाँ प्राप्त नही हुयी ।

↓ न्यायाधिकरण पूंजी कटौती का आदेश पारित कर सकता है ।

आदेश पारित करने से पहले न्यायाधिकरण को यह संतुष्ट करना होगा कि :-

कम्पनी के प्रत्येक लेनदार का ऋण या दावा था तो

छूट दे दी गयी (या)

निर्धारित (या)

सुरक्षित किया गया (या)

उसकी सहमति प्राप्त कर ली गयी ।

ऐसी कटौती के लिये कम्पनी द्वारा प्रस्तावित लेखांकन पद्धति धारा 133 या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान मे निर्दिष्ट लेखांकन मानको के अनुरूप है आवेदन करते समय कम्पनी के लेखा परीक्षक द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र न्यायाधिकरण मे प्रस्तुत किया गया है।

न्यायाधिकरण के आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 days के भीतर कम्पनी न्यायाधिकरण के आदेश और न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित मिनटो (विशेषप्रस्ताव सहित) की एक प्रमाणित प्रति ROC को सौंपेगी जिसमे दर्शाया जायेगा :-

शेयर पूंजी की राशि

Teacher's Signature..................

DATE
PAGE NO.

शेयरो की संख्या जिनमे इसे विभाजित किया जाता है।
प्रत्येक शेयर की राशि
पंजीकरण की तिथि पर प्रत्येक शेयर पर चुकता समझी जाने वाली राशि यदि कोई हो।

(4)→ जहाँ किसी लेनदार का नाम लेनदार सूची (creditor's list) में दर्ज नही है।
और
→ Repayment
कटौती के बाद, कम्पनी अपने ऋण की अदायगी में चूक करती है
(1) कटौती के ROC द्वारा पंजीकरण की तिथि पर प्रत्येक सदस्य उस ऋण के भुगतान में योगदान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(2)→ यदि कम्पनी का समापन हो जाता है तो न्यायाधिकरण में आवेदन करने पर योगदान देने वाले व्यक्तियो की सूची तय करे और योगदान कर्त्ताओ पर ऐसे आह्वान लागू करे जैसे कि वे सामान्य योगदानकर्ता है।

(5) कम्पनी का कोई भी अधिकारी धारा 447 के अन्तर्गत दण्ड के लिये उत्तरदायी होगा यदि वह —
(i) जानबूझकर कटौती पर आपत्ति करने के हकदार किसी ऋणदाता का नाम छिपाता है या ऐसे किसी छिपाव को बढ़ावा देता है या उससे परिचित है
(2) या किसी ऋणदाता के ऋण या दावे की प्रकृति या राशि को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या ऐसे किसी गलत बयान को बढ़ावा देता है या उसमे शामिल होता है।

धारा 67 – कम्पनी द्वारा शेयरो की खरीद या उसके द्वारा शेयरो की खरीद के लिये ऋण देने पर प्रतिबन्ध

(1) शेयर पूंजी वाली कम्पनी शेयर पूंजी में परिणामी कमी के बिना अपने शेयर नही खरीद सकती।
Share – 100Cr.
– 20Cr.
80Cr.
Itself Buy 20Cr.

(2) सार्वजनिक कम्पनी अपने शेयरो या अपनी होल्डिंग कम्पनी के अंशदान की खरीद के लिये ऋण / गारंटी / वित्तीय सहायता नही दे सकती।

Public Co. ← Loan / assistant / Gratuity → For Buying Shares of Co. or its holding Co.

Teacher's Signature

DATE
PAGE NO.

Exception:-

1. बैंकिंग कम्पनी द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य कम में धन उधार देना।
2. कम्पनी द्वारा SR के माध्यम से अनुमोदित योजना, शेयर कर्मचारियों के लाभ के लिये ट्रस्टी द्वारा या कर्मचारियों द्वारा रखे जाते हैं।
3. निदेशक या KMP के अलावा अन्य कर्मचारियों को कम्पनी या उसकी होल्डिंग कम्पनी में पूर्ण चुकता शेयरों की सदस्यता लेने और लाभकारी स्वामित्व के माध्यम से उन्हें धारण करने के लिये <6M वेतन की राशि के लिये ऋण
(M → Months)

(1) → Trader ← loan — Banking Co. → ordinary course of Business
Trader → share = Buy/Sell
Banking Co. ← shares Buy
Allowed (✓)

(2) → Co. → SR Pass
ESOP Scheme
=
Paise → Trust → Employees
Trust → shares
Trust → Market से उसी कम्पनी के shares Buy ✓
Allowed (✓)

*(3) → Public Co. —loan→ Employees (other than director AMP)
↓
For subscribing the shares
(only fully paid)
(only 6 Month salary जितना loan)

(धारा 68) कम्पनी को अपनी प्रतिभूतियाँ खरीदने की शक्ति (Buy Back)

सूत्रों का कहना है
- Free Reserve
- * For sec 68 Security premo will be treated as Free Reserve
- (2) Shares Issue
- Not of Same Kind

वापस खरीदने से पहले
1. AoA द्वारा अधिकृत
2. General Meeting में विशेष संकल्प (Paidup Equity s. capital)
3. बोर्ड संकल्प यदि BB ≤ PUESC+FR का 10%
4. बायबैक के लिये सभी शेयर/प्रतिभूति या पूरी तरह से चुकता है
5. कम्पनी को ROC + SEBI के साथ कम से कम 2 निदेशक (1 MD if) द्वारा हस्ताक्षरित हलफनामे के साथ SH9 में सॉल्वेंसी की घोषणा दाखिल करनी होगी।

बाद में वापस खरीदें
1. कम्पनी को BB पूरा हो के 7 दिनों के भीतर शेयरों को बुझाना और भौतिक रूप से नष्ट करना होगा।
2. कम्पनी 6M के भीतर उसी तरह का कोई मुद्दा जारी नहीं करेगी (बोनस EX)
3. BB पूरा होने के 30 दिनों के भीतर ROC + SEBI (यदि सूचीबद्ध हो) के साथ SH-11 में रिटर्न दाखिल करें

DATE
PAGE NO.

बायबैक का आकार सीमित करें :-

(1) BB ≤ चुकता पूँजी का 25% + FR

बायबैक के बाद का अनुपात :- $\dfrac{\text{ऋण (सुरक्षित और असुरक्षित)}}{\text{प्रदत्त पूँजी + FR}} \le \dfrac{2}{1}$ (2:1)

BB हो सकता है -
अनुपातिक आधार पर मौजूदा शेयर धारक
खुला बाजार
कर्मचारी को जारी प्रतिभूतियाँ (ESOP या स्वेट इक्विटी शेयर)

उत्तरदायी	न्यूनतम क्षमता	अधिकतम
कं०		
कं० का प्रत्येक अधिकारी चूककर्ता है।	एक लाख ₹	3 लाख ₹ तक

पूँजी मोचन आरक्षित खाते में कुछ राशि का हस्तान्तरण (धारा 69)

Transfer of certain sum to Capital Redemption Reserve A/c

जहाँ कम्पनी अपने स्वयं के शेयर खरीदती है।

(1) निःशुल्क भण्डार
या
प्रतिभूति प्रीमियम खाता
फिर खरीदे गये शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर राशि पूँजी मोचन रिजर्व में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।
ऐसे हस्तान्तरण का ब्यौरा बैलेंस शीट में प्रकट किया जायेगा।

(2) CRR का उपयोग - पूर्णतः चुकता बोनस शेयरों का निर्गमन
↳ Capital Redemption Reserve

Co 100Cr Buy Back → 80Cr FV, → 20Cr Prem

Case-1 Amt ⇒ CRR transfer = Free Reserve Used By company = 80Cr
Case-2 Amt ⇒ CRR transfer = Fresh Issued Buy Back = 0

Teacher's Signature........

DATE
PAGE NO.

धारा 70 परिस्थितियो में पुनः खरीद के लिये निषेध

		↓ NO BB	↓ NO BB
अपनी स्वंय की सहायक कम्पनी सहित सहायक क० के माध्यम से	किसी भी निवेश कम्पनी या निवेश कम० के समूह के माध्यम से	यदि डिफॉल्ट में ① जमाराशि का पुर्नभुगतान ② उस पर ब्याज ③ डिबेंचर या अधिमान्य शेयरो का मोचन ④ लाभांशों का भुगतान ⑤ बैंकिंग कम्पनी या वित्तीय संस्था की सावधि ऋण या उस पर ब्याज का पुर्नभुगतान	अनुभाग का अनुपालन नही 92 - वार्षिक रिटर्न 123 - लाभांश की घोषणा और भुगतान 127 लाभांश वितरित करने में विफलता के लिये दण्ड 129 - वित्तीय विवरण

यदि ऐसी चूक समाप्त होने के बाद 3 Years बीत जाते है तो अनुमति दी जाती है।

प्रतिभूतियों का स्थानांतरण और संचरण (धारा 56)

प्रतिभूतियो का स्थानान्तरण (Transfer)	प्रतिभूतियों का संचरण (Transmission)
① स्वैच्छिक	① कानून का संचालन
② स्थानांतरण साधन आवश्यक	② प्रेषण की सूचना आवश्यक है
③ प्रतिफल उपस्थित हो सकता है	③ कोई विचार नही

Mr. A Shareholder Transferer —Share sell→ Mr. B Transfree

Mr. A Shareholder → Death → leage Heirs
— Insolvent — Official Reciver
→ Unsound Mind → administration Officers

① कम्पनी प्रतिभूतियों के हस्तान्तरण को पजीकृत नही करेगी। जब कम्पनी के पास share capital न होने की स्थिति में सदस्य का हित जब तक

(i) फार्म SH-4 हस्तान्तरण का दस्तावेज विधिवत रूप से स्टाम्प, दिनांकित और हस्तांतरक और हस्तांतरी द्वारा निष्पादित किया गया है

(ii)→ लिखित में हस्तान्तरिति का नाम, पता और व्यवसाय (यदि कोई हो) लिखित किया गया।

(iii) निष्पादन के 60 दिनों के भीतर उपकरण कम्पनी को सौंप दिया जाता है।

DATE
PAGE NO.

(iv) प्रतिभूति प्रमाण पत्र के साथ लिखित सलंग्न किया जायेगा or यदि प्रतिभूति प्रमाणपत्र मौजूद नही है तो प्रतिभूतियों के आवंटन का पत्र दाखिल किया जायेगा।

(2) यदि अंतरण लिखत खो जाये या निर्धारित समय के भीतर कम्पनी को न सौंपा जाये तो क० क्षतिपूर्ति के संबंध में ऐसी शर्तों पर अंतरण को पंजीकृत कर सकती है जैसाकि बोर्ड उचित समझे

(3) हस्तान्तरण के साधन की आवश्यकता नही होगी
सरकारी क० द्वारा जारी बांडो के transfer के लिये
Transfree द्वारा सूचना में यह निर्दिष्ट करना आवश्यक है

नाम + पता + व्यवसाय

+

बॉड प्रमाणपत्र / आवंटन पत्र

(4) प्रतिभूतियों के प्रेषण को पंजीकृत करने के लिये हस्तान्तरण के साधन की बजाय प्रेषण की सूचना की आवश्यकता होती है।

(5) संचरण के मामले:-
कानूनी प्रतिनिधि की मृत्यु
दिवालियापन → समाधान पेशेवर के लिये
पागलपन न्यायालय न्य द्वारा नियुक्त प्रशासन को

(6) आंशिक रूप से चुकता शेयरों का मामला:-
यदि आवेदन केवल हस्तान्तरक द्वारा किया जाता है और शेयर आंशिक रूप से चुकता है तो कम्पनी को हस्तातरी को SH-5 मे सूचना देनी होगी।
Transfree को प्राप्ति के 2 सप्ताह के भीतर कोई आपत्ति नही देनी होगी।
↓
उसके बाद कम्पनी को Register transfer करना होगा।

Eg → Mr. x (transferer, Share holder) — 100 FoV, 60 paidup — Application Co. } transfer x to y
↓
Mr. y (transfree) — company Notice भेजेगी pehle Mr. y को कि partly paid up share है आगे बचा हुआ पैसा आपको देना होगा।

Teacher's Signature.........

DATE
PAGE NO.

(7) क० द्वारा सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रदान करने की समय सीमा :-

MCQ →

मामला	अधिकतम सीमा (Share Certificate)
MOA के सदस्य	निगमन के 2 Months के भीतर
शेयरों का आवंटन	आवंटन " " " "
डिबेंचर का आवंटन	आवंटन की तिथि से 6M के भीतर
प्रतिभू० का स्थानान्तरण / संचरण	हस्ता० दस्तावेज या प्रेषण की सूचना की प्राप्ति की तारीख से 1 M भीतर
निर्दिष्ट IFSC सार्वजनिक और निजी कम्पनी द्वारा प्रतिभूतियाँ	निगमन, आवंटन, हस्ता० या प्रेषण के बाद 60 दिनों की अवधि के भीतर

(8) उपरोक्त प्रावधान का डिफाल्ट (क० और अधिकारी) = 50,000

(9) जहाँ किसी डिपाजिटरी या डिपा० प्रतिभागी ने किसी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से शेयर हस्तान्तरित किये है - धारा 447 के तहत उत्तरदायी

(10) जालसाजी :- (Imp)

जालसाजी हस्ता० अमान्य है

यह transfree को शेयरों का कोई अधिकार नही देता

कम्प० वास्तविक मालिक का नाम बहाल करने और उसे लाभांश का भुगतान करने के लिये बाध्य है जो उसे प्राप्त होना चाहिये था।

यदि कोई व्यक्ति धोखे से मालिक के रुप मे अपना परिचय देता है

किसी प्रतिभूति या

किसी कम्पनी में रुचि या

किसी शेयर वारंट या कूपन के स्वामी के रुप में

ऐसी कोई प्रतिभूति या हित या शेयर वारंट या कूपन या ऐसे किसी स्वामी को देय कोई धनराशि प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है -

उसे 1 Year - 3 years तक के कारावास की सजा

or

जुर्माना 1 से 5L तक

Teacher's Signature..........

DATE
PAGE NO.

कम्पनी ने पंजीकरण करने से इंकार कर दिया Transfer / Transmission

निजी क०
स्थानान्तरण / संचरण को पंजीकृत करने से इनकार करना
कम्पनी को उपकरण / सूचना की डिलिवरी के 30 days के भीतर हस्तांतरक और हस्तांतरी को नोटिस भेजना होगा।

- Notice ✓
  Transfree Notice प्राप्त होने के 30 Days के भीतर न्यायाधिकरण अपील दायर कर सकता है।
- Notice ×
  transfree उपकरण / सूचना डिलिवरी के 60 दिनों के भीतर न्यायाधिकरण मे अपील दायर ✓

सार्वजनिक क०
पर्याप्त कारण के बिना पंजीकरण करने से इनकार करना
कम्पनी को उपकरण / सूचना की डिलिवरी
Same as private

- Notice ✓
  Transfree Notice प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर
  same
- Notice ×
  Transfree लिखित / सूचना की 90 दिनों के भीतर न्यायाधिकरण में अपील ✓

पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण या तो अपील खारिज (या)
आदेश :- क० को नोटिस प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अनुपालन हेतु Trans / Transmission and company को पंजीकृत करने का निर्देश देना।
(या)
रजिस्टर में सुधार का निर्देश देना तथा कम्पनी को पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश देना।

न्यायाधिकर के आदेश का उल्लंघन
कारावास 1-3 Years
और
Fine 1-5L

सदस्यों के रजिस्टर का सुधार (धारा 59)

यदि बिना पर्याप्त कारण के किसी व्यक्ति का नाम
सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया
" " " से हटा दिया गया
नाम दर्ज / हटाने में अनावश्यक देरी

Teacher's Signature..........

DATE
PAGE NO.

तो भी पीडित व्यक्ति, सदस्य, कम्पनी आवेदन कर सकती है

Tribunal
or
भारत के बाहर सक्षम न्यायालय (भारत के बाहर डिबेंचर धारक के विदेशी सदस्य के मामले में)

सदस्यों के रजिस्टर में सुधार

(2) पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीकरण अपील खारिज (या) 10 days same as last
(या) डिपाजिटरी के रिकार्ड या रजिस्टर मे सुधार का निर्देश देना तथा कम्पनी को पीडित पक्ष को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश

ऋण पत्र (धारा 70)

धारा 2(30) डिबेंचर शामिल है	डिबेंचर शामिल नही
डिबेंचर स्टॉक बांड → किसी कम्पनी का कोई और दस्तावेज जो ऋण का प्रमाण देता हो → कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर कर लगाया जा रहा है या नही	भारतीय रिजर्व बैंक अधि० 1934 के अध्याय III-D मे निर्दिष्ट उपकरण और ऐसी अन्य उपकरण जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जा सकते है।

(1) परिवर्तनीय (पूर्णत / आंशिक रूप से) डिबेंचर जारी करने को सामान्य बैठक में पारित किये SR द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
(2) क: मताधिकार वाले डिबेंचर जारी नही कर सकते
(3) सुरक्षित डिबेंचर जारी करना
(1) अधिकतम मोचन अवधि - 10 Years
(2) निर्दिष्ट कम्पनी के लिये - 30 Years
कम्पनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना में लगी हुयी है
(1)
(2) INFRA Finance company
(3) INFRA Date fund NBFC
(4) CG / RBI / National Housing Bank / अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा अनुमत क०

Teacher's Signature

DATE
PAGE NO.

चार्ज का निर्माण → डिबेंचर का निर्गमन → नकदी की सम्पत्तियों या परिस० पर प्रभार के सृजन द्वारा सुरक्षित किया जायेगा।

(ii) ऐसा मूल्य होना चाहिये जो डिबेंचर राशि और उस पर ब्याज की उचित अदायगी (Repayment) के लिये पर्याप्त हो।

डिबेंचर ट्रस्टी की नियुक्ति:-
कम्पनी डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त करेगी
विवरणिका / प्रस्ताव पत्र जारी होने से पहले
निर्गम u या प्रस्ताव के बंद होने के तीन महीने के भीतर Form SH-12 मे डिबेंचर ट्रस्टी डीड निष्पादित करे

Debenture Trustee:- Appoint for:-
Secured debenture (✓) जिन लोगो को Deb का offer दे रहे हो वो 500 से ज्यादा है।

Debenture Trustee का नाम Co० अपने Prospectus, letter of offer साथ सभी subsequent Communication etc में साथ-साथ लिखती है।

(c) Debenture Trustee को Appoint करने से पहले उसकी written Consent (✓) and (show कि हमने written consent ली है)

(c) If Deb० पागल हो जाये या Death हो जाये उससे Create होती है casual vacaney (filled By Companies Board of Director)

(c) If trustee Resign By hisself (for filling the place we need to written consent of Mojority of Debenture holder)

(c) Deb trustee को निकाला जा सकता है अगर approval 3/4th in value of value of Debenture holders है तो।

डिबेंचर ट्रस्टी बनने की पात्रता:- (Imp)
किसी व्यक्ति को Deb० ट्रस्टी के रूप मे नियुक्त नही किया जायेगा यदि वह कम्प० मे लाभकारी शेयर रखे

DATE
PAGE NO.

केश मे प्रमोटर, निदेशक KMP, अन्य अधिकारी कर्मचारी है -
डिबेंचर ट्रस्टी के रूप मे पारिश्रमिक के अलावा कम्पनी द्वारा भुगतान किये
जाने वाले धन के लिये लाभकारी रुप से हकदार
CASH या ऐसी होल्डिंग कम्पनी की सहायक कम्पनी के प्रति ऋणी
डिबेंचर द्वारा सुरक्षित मूल ऋण के सबंध मे गारंटी प्रदान की गयी
कम्पनी के प्रमोटर या निदेशक या KMP के रिश्तेदार
कम्पनी के साथ आर्थिक सम्बन्ध है -
पिछले 2 वित्तीय वर्ष या वर्ष मे अधिकतम सीमा (सकल T/O या कुल
आय का 2% या 50L या अधिक राशि जो निर्धारित की जा सकती है) मे से
कम

(6) डिबेंचर ट्रस्टी Deb धारकों के हितों की रक्षा करने तथा नियमो के अनुसार
उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिये कदम उठायेगा ।

(7) डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा डिबेंचर धारकों की बैठक बुलाई जाती है यदि -
(i) बकाया डिबेंचर के मूल्य का ≥ 1/10 वा हिस्सा रखने वाले डिबेंचर धारकों
द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मे मांग । (या)
(ii) → किसी ऐसी घटना का घटित होना, जो उल्लंघन, चूक का कारण
बनती हो या जो डिबेंचर ट्रस्टी की राय मे Deb • धारकों के हित को
प्रभावित करती हो ।

(8) ट्रस्ट डीड मे Deb को न्यास भंग के दायित्व से छूट देने या उसे क्षतिपूर्ति
देने का कोई प्रावधान शून्य होगा ।
हालांकि Deb Trustee की देयता, डिबेंचर धारकों के बहुमत द्वारा सहमति के
अनुसार छूट के अधीन होगी । (4)
कुल Deb के मूल्य का 3/4 से अधिक हिस्सा रखना ।

(9) कम्पनी अपने निर्गम की शर्तों के अनुसार ब्याज का भुगतान करेगी तथा
डिबे० को भुनायेगी ।

(10) क० के किसी भी Deb को लेने और भुगतान करने के लिये क० के साथ
अनुबंध को लागू किया जा सकता है विशिष्ट निष्पादन के लिये आदेश
यदि उधार 100% of PUSC + FR + SPA से अधिक हो तो क० को विशेष
समाधान प्राप्त करना होगा ।

Teacher's Signature.................

DATE
PAGE NO.

कम्पनी को स्वतं डिबेंचर के आवंटन के 30 Days के भीतर Form PAS-3 मे आवंटन की रिर्टन दाखिल करनी होगी।

किसी भी समय यदि Deb trustee इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क० की सम्पत्तियां देय होने पर मूल राशि का भुगतान करने के लिये अपर्याप्त है। होने की सम्भावना है

डिबेंचर ट्रस्टी Tribunal के समक्ष याचिका दायर कर सकते है

↓

सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण क० की आगे की देनदारी पर प्रतिबंध लगा सकते है।

यदि क० परिपक्वता तिथि पर डि० भुनाने में विफल रहती है या देय होने पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहती है।

↓

इवि डिबेंचर धारको या Deb trustee के आवेदन पर न्यायाधिकरण क० को मूलधन और उस ब्याज के भुगतान के साथ इसे भुनाने का आदेश दे सकता है।